राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—एफ.2 (क) (1)/(बी—400)/अलेसे—I/ 921 दिनांकः— 11/06/2020

आदेश संख्याः 80 /2020—21

कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर के पत्रांक 1766 दिनांक 20.12.2017 के द्वारा विभाग को सूचित करने पर तथा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 122/17 दिनांक 22.05.2017 दर्ज होने के परिणामस्वरूप उक्त अभियोग के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर, कैम्प—जोधपुर के द्वारा श्री बजरंग बली बनबेरू (लिंक नं0 3692), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I, कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर को दिनांक 01.12.2017 को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2017 की अनुपालना में दिनांक 19.12.2017 को जमानत पर रिहा किया गया था। न्यायिक अभिरक्षा में 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के कारण श्री बनबेरू को राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 1090 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा दिनांक 01.12.2017 से निलम्बित किया हुआ माना गया था।

श्री बजरंग बली बनबेरू द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 17361/2019 प्रस्तुत कर निलम्बन आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2019 को पारित आदेश में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का तीन सप्ताह में निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त अभ्यावेदन पर वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त मार्गदर्शनानुसार श्री बनबेरू द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का सभी तथ्यों के गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण के संबंध में कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर के पत्र क्रमांक 436 दिनांक 14.05.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है तथा जिसमें समय लगने की सम्भावना है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन तथा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2019 के संदर्भ में प्रकरण का अध्ययन करने के पश्चात् यह तथ्य प्रकाश में आते हैं कि श्री बनबेरू को ए.सी.बी. जोधपुर (ग्रामीण) में एफ.आई.आर. संख्या 122/2017 दर्ज होने तथा 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के कारण निलम्बित किया गया था। ए.सी.बी. में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 122/2017 से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से श्री नरेन्द्र सोलंकी, ठेकेदार तथा श्री रामलाल सियाग, तत्का0 निदेशक (अभियांत्रिकी) को आरोपी माना गया है, इसके अतिरिक्त परोक्ष रूप से ही वित्तीय/लेखा अधिकारी व अन्य, जो.वि.प्रा. को आरोपी माना गया है, लेकिन श्री बनबेरू को व्यतिशः आरोपी नहीं माना गया है। श्री बनबेरू के निलम्बन को 2 वर्ष 6 माह का समय हो चुका है तथा इसके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई है, और ना ही ए.सी.बी. से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हुआ है, इसके अतिरिक्त श्री बनबेरू की अधिवार्षिकी सेवानिवृति दिनांक 31.08.2020 को होने भी जा रही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.11.2019 तथा वित्त (राजस्व) विभाग की राय के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तथ्यों, प्रकरण के गुणवगुण तथा 31.08.2020 को इनकी सेवानिवृति को दृष्टिगत रखकर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए श्री बजरंग बली बनबेरू, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड—I को निलम्बन से बहाल किया जाकर इनका पदस्थापन कोषालय, जोधपुर (ग्रामीण) में किया जाता है।

श्री बनबेरू की निलम्बन अवधि का निर्णय ए.सी.बी. द्वारा चालान/जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अथवा माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

ए—ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in, E-Mail Id – aao1.dta@rajasthan.gov.in Fax-2740735, Tel.- 2744134

क्रमांकः–एफ.2 (क) (1)/(बी–400)/अलेसे–I/92 । दिनांकः– 11/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर को टीप क्रमांक प.2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 06.02.2020 के संदर्भ में।
2. कोषाधिकारी, जोधपुर (ग्रामीण)।
3. कोषाधिकारी, पाली।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण।
5. श्री बजरंग बली बनबेरू, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, मुख्यालय कोषालय, पाली।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)